

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ.1(131)परि/स्था/2015/पार्ट-V/6732

जयपुर, दिनांक: 24/4/2019

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 एवं राजस्थान सिविल सेवा सर्विसेज (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके सम्मुख दर्शाये कालम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कालम संख्या 6 में अंकित तिथि से (मध्यान्ह पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामविलास गुप्ता	परिवहन निरीक्षक	प्रा.प.अ. कोटा	01.08.1959	31.07.2019
2.	श्री संतोष कुमार पुरोहित	परिवहन उप निरीक्षक	जि.प.अ. रतनपुर	05.04.1959	30.04.2019
3.	श्री विजयसिंह	कनिष्ठ सहायक	जि.प.अ. शाहजंहापुर	20.06.1959	30.06.2019
4.	श्री बलवीर मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.प.अ. कोटपूतली	01.12.1959	30.11.2019
5.	श्री मनरूप सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जि.प.अ. झुन्झुनु	01.01.1960	31.12.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कर्मचारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16, 17 एवं 19 के अधीन कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(महेन्द्र कुमार खींची)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांक: एफ.1(131)परि/स्था/2015/पार्ट-V 6733-674/ जयपुर, दिनांक: 24/4/2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेन्शन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों की सेवापुस्तिका से जन्मतिथि/सेवानिवृत्ति तिथि की पुष्टि कर लें। यदि त्रुटि हो तो मुख्यालय को अवगत करावें ताकि संशोधित आदेश निकाला जा सके।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
6. संबंधित कर्मचारी श्री
7. पेन्शन शाखा/जांच शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी पत्रावली श्री
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)